न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या– अपीलडि/टीए/2102/2003/अजमेर

भैरू पुत्र भूराम मृतक जरिये वारिसान–
1. श्रीमती झमकू बेवा भैरू मृतक नाम तर्क
2. सायर पुत्र भैरू
3. कल्ली पुत्री भैरू पत्नी गोकुल
4. छेका पुत्र भैरू मृतक जरिये वारिसान–
4/1. सोहनी पत्नी छेका उर्फ चोखाराम
4/2. कचरी पुत्री छेगा उर्फ चोखाराम
5. चॉदू पुत्र भैरू
6. नैनू पुत्र भैरू
7. सायरा पुत्र भैरू
8. रूकमा पत्नी रामदेवी पुत्री भैरू
समस्त जाति भील निवाासीगण ग्राम बरल द्वितीय तहसील ब्यावर जिला अजमेर

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती कान्ता देवी पत्नी गजराजसिंह मालविया निवासी विजयनगर तहसील ब्यावर जिला अजमेर

–प्रत्यर्थी

2. नन्दा पुत्र कालू जाति भील मृतक जरिये वारिसान–
2/1. पांचू
2/2. गोदू पुत्र नन्दा – नाम तर्क
समस्त जाति भील निवासी ग्राम बरल द्वितीय तहसील ब्यावर जिला अजमेर

–तरतीबी प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य
श्री हरिशंकर गोयल, सदस्य

उपस्थित
श्री जी.एस. लखावत, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
श्री अजीतसिंह राठौड, अधिवक्ता प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक 26.12.2019

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24–02–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण प्रत्यर्थी संख्या–1 ने विचारण न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 188 एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रतिवादीगण अपीलार्थीगण व तरतीबी प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध एक वाद ग्राम बरल द्वितीय स्थित आराजी साबिक ख्सरा नम्बर 819 रकबा रकबा 05बीघा 12बिस्वा हाल खसरा नम्बर 1019 रकबा 04बीघा भूमि बाबत् प्रस्तुत कर घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने दावे, जवाबदावे के आधार पर अनुतोष सहित आठ विवाद्यक विरचित कर उभयपक्ष पक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध की। तत्पश्चात् उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31–03–2001 से दोनों ही पक्ष को धारा 42 रजास्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत बराबर के दोषी मानते हुए तहसीलदार मसूदा को धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रकरण प्रस्तुत करने के निर्देश देते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज कर उभयपक्ष को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द कर दिया कि वे विवादित आराजी के मौके एवं रिकार्ड में परिवर्तन नहीं करे ना ही विवादित आराजी का किसी प्रकार से हस्तान्तरण करें। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध एक अपील संख्या 73/2001 प्रतिवादी अपीलार्थीगण की ओर से

तथा दूसरी वादी प्रत्यर्थी संख्या–1 की ओर से अपील संख्या 179/2001 राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी, जिन्हे उन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 24–02–2003 से खारिज कर दी। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील संख्या 73/2001 में पारित निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थी प्रतिवादी द्वारा यह अपील द्वितीय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की।

3. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं आज्ञप्ति में धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रकरण बाबत् पूर्णतयाः अविवेकपूर्ण तथा न्याय नियम तथा अभिलेख के प्रतिकूल होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा वादिया के पति से रूपये उधार लेने तथा बांटा देने को भूमि गिरवी होना मानकर तथा धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लघंन मानकर निर्णय पारित कर दिया जबकि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपीलार्थीगण के अभिवचनों को पूर्णतयाः नजरअन्दाज किया गया है क्योंकि अपीलार्थीगण द्वारा जो जवाबदावा एवं काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया उसमें स्पष्ट रूप से चरण संख्या–3 में अंकित किया कि वादिया का पति गजराजसिंह प्रतिवादीगण को बेदखल करना चाहता है तथा 30/–रूपये गजराजसिंह से उधार लिये जिसके बदले वर्षो तक प्रतिवादीगण से उनके काश्तशुद्धा फसल में से बांटा लेता रहा। अर्थात वादिया का पति या वादिया भूमि पर काबिज नहींरही अपितु उधार के रूपये के बदले फसल में से हिस्सा लेता रहा। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालयों ने बिना अभिवचनों को समुचित पढे ही मनमाने तरीके से विधि विरूद्ध निष्कर्ष प्रदान कर धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रकरण दायर करने के निर्देश प्रदान करने में विधिक एवं

तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने इस बिन्दू पर भी ध्यान नहीं दिया कि यदि अपीलार्थीगण भूमि को हस्तान्तरित करते या राजस्थान कातश्कारी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लघंन करते तो पूर्व में धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्ररकण संख्या 106/19777 में अपने हितों की रक्षा समुचित रूप से नहीं करते। इतना ही नहीं वर्तमान प्रकरण में धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रकरण में भी अपीलार्थीगण ने राजस्व मण्डल तक अपने कब्जे केक बिन्दू को साबित किया तथा अपने हितों की रक्षा की एवं इसी प्रकार आवंटन निरस्ती के प्रकरण में अतिरिक्त जिलाधीश के समक्ष भी अपीलार्थीगण ने अपने पक्ष को अत्यन्त मजबूत तरीके से प्रस्तुत किया। इस प्रकार इन समस्त विधिक कार्यवाही में अपीलार्थीगण अपने अधिकारों की समुचित रक्षा की है तथा अपीलार्थीगण द्वारा विवादित आराजी को कभी भी हस्तान्तरित नहीं की गयी है। उनका कथन है कि दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने खसरा गिरदावरी की प्रविष्टि तथा वादिया को उपकृषक अंकित करने की प्रविष्टि के बारे में गलत निष्कर्ष प्रदान किया है क्योंकि अपीलार्थीगण द्वारा भूमि को अन्य व्यक्ति से काश्त करवाये जाने का कोई विधिपूर्ण तथ्य अभिलेख पर नहीं है तथा वादिया के पति द्वारा जो कि पटवारी था उसके द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर गलत अंगन अपीलार्थीगण की भूमि को हडपने के लिये करवाये गये थे तथा अपीलार्थीगण को भूमि आवंटन होने के समय से ही वह अलग अलग तरीके से भूमि के स्वामित्व से अपीलार्थीगण को वंचित करने हेतु प्रयासरत रहा है। इस प्रकार बिना किसी आधार के की गयी प्रविष्टि तथा उसके आधार पर कारित निष्कर्ष द्वारा जो निर्णय दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रकरण प्रस्तुत करने बाबत् प्रदान किये है, वह विधि की मंशा के प्रतिकूल होने से द्वितीय अपील के माध्यम से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या–1 द्वारा प्रस्तुत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद था, जिसका निर्णय किया जाना चाहिए था

परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा अपनी शक्तियों से परे जाकर अवैध निर्णय धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिकनयम का प्रकरण करने करने का प्रदान कर दिया। साथ ही बिना किसी विधिक अधिकार के स्थाई निषेधाज्ञा का आदेश भी पारित कर दिया। उनका कथन है कि विवादित आराजी आवंटन के समय से ही अपीलार्थीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है तथा उनके पक्षकार की ओर से विवादित आराजी का हस्तान्तरण किसी अन्य को नहीं किया गया है। उनका कथन है कि तहसीलदार द्वारा इन्हीं पक्षकारों के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 175 के तहत वाद प्रस्तुत किया, जो निर्णय दिनांक 30-01-1980 से खारिज हो चुका है। ऐसी स्थिति में पुनः धारा 175 की कार्यवाही संस्थित नहीं की जा सकती। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त तथ्यों एवं विधि की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में धारा 175 की कार्यवाही के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों को निरस्त किया जावे। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपने कथनों के समर्थन में 1988 आरआरडी पेज 18, पेज 143, 1981 आरआरडी पेज 160 एवं 1997 आरबीजे (4) पेज 538 पर उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

5. इसके विपरीत योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्ययालय के समक्ष उनके पक्षकार की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि विवादित आराजी सम्वत् 2017 से उनके पक्षकार के कब्जे काश्त में चली आ रही थी तथा अपीलार्थीगण का विवादित आराजी पर सम्वत् 2017 से कब्जा काश्त नहीं रहा है। उनका कथन है कि जमाबन्दी सम्वत् 2021 से 2027 में उनका पक्षकार विवादित आराजी के राजस्व अभिलेख में उपकृषक के रूप में दर्ज है तथा

उसके पश्चात् की खसरा गिरदावरियों में भी उनके पक्षकार की काश्त दर्ज है। उनका कथन है कि उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर ने तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को निरस्त किया। मियाद की सीमा समाप्त हो जाने के उपरान्त प्रतिवादी अपीलार्थीग्ण विवादित भूमि का कब्जा पुनः प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष दोनों ही पक्षकारान की ओर से धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् कोई अनुतोष नहीं चाहा गया। ऐसी स्थिति में धारा 175 की कार्यवाही बाबत् निर्देश प्रदान करना विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील को खारिज किया जावे।

6. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ताओं द्वारा की गयी बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादीगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 188 एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रतिवादीगण अपीलार्थीगण व तरतीबी प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध एक वाद ग्राम बरल द्वितीय स्थित आराजी साबिक ख्सरा नम्बर 819 रकबा रकबा 05बीघा 12बिस्वा हाल खसरा नम्बर 1019 रकबा 04बीघा भूमि बाबत् प्रस्तुत कर घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। उक्त वाद में प्रतिवादीगण अपीलार्थीगण की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर आराजी खसरा नम्बर 1020 में से 01बीघा 12 बिस्वा रकबा कम किया जाकर प्रतिवादीगण की आराजी खसरा नम्बर 1019 में इजाफा कर 05बीघा 12बिस्वा रकबा प्रतिवादीगण के नाम अंकित करने की डिक्री पारित करने का अनुतोष चाहते हुए वादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द

कराने का अनुतोष चाहा गया। विचारण न्यायालय ने पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में तनकीवार निर्णय पारित करते हुए अन्त में यह अंकित किया गया कि वादिया द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में अनुसूचित जन जाति की खातेदारी की आराजी पर अनाचार से प्रतिवादीगण की भूमि पर कब्जा किया जाना जाहिर आता है। वही प्रतिवादीगण ने इसका प्रतिरोध नहीं किया ओर ना ही कब्जा वापसी के लिए आजतक किसी प्रकार का वाद किसी सक्षम न्यायालय में पेश नहीं किया है। अतः दोनों ही पक्षकार धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के बराबर के दोषी पाये जाना मानते हुए तहसीलदार मसूदा को धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।

8. प्रस्तुत प्रकरण में यह भी स्वीकृत तथ्य है कि खसरा नम्बर 819 का रकबा 34बीघा 10बिस्वा था, जिससे नया खसरा नम्बर 1019 बनना बताया गया है। भैरू को आवंटित खसरा नम्बर 819/2 था तथा साबिक खसरा नम्बर 819 से कई खसरा नम्बर बने, उसके बारे में कुछ भी बताया ही नहीं गया कि वे किसके खाते में दर्ज है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जिसमें द्वितीय अपील के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

8. परिणामतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णयों व डिक्री की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरिशंकर गोयल)
सदस्य

(सुनील कुमार शर्मा)
सदस्य